


07-05-24

पत्रावली पेश। वकील वाडी या वाडीगण स्वयं उपस्थित  
नहीं। बार-बार आवक लगाने पर भी  
कोई उपरिन्धत नहीं आया। अतः वाडीगण  
का यह वाद पत्रा अडम पेशी - अडम  
हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज किया जाया  
है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर  
शरिफ हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले व्यापार्य  
में सुनाया गया।

  
(मन्मोज सुन्दर शिन्द)

R. A. S.